

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

प्रथम तल, कक्ष क्र.- 16, संयुक्त जिला कार्यालय भवन सूरजपुर

दूरभाष 07775-266125, फ़ैक्स-07775-266125, 07775-266155,

Email: surajpur.election@gmail.com, deo-surajpur.cg@nic.in

क्रमांक ...2021.../निर्वा.पर्य./प्रेस विज्ञप्ति/2019

सूरजपुर, दिनांक ...06./...08./2019

//प्रेस विज्ञप्ति//

सूरजपुर, 05 अगस्त, 2019। भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देश पत्र क्रमांक -23/2019-ERS(Vol.-III) 25 जुलाई, 2019 एवं के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2020 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	कार्यक्रम	समयावधि
1	<u>पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियां :-</u> अभियान के माध्यम से मतदाता सूची के स्वास्थ्य में सुधार	
a	मतदाता सूची में डूप्लीकेट (DSEs) एवं लॉजिकल एरर हटाना एवं फोटो क्वालिटी चेक करना	01.08.2019 (गुरुवार) से 31.08.2019 (शनिवार) तक
b	मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (EVP) के माध्यम से मतदाता सूची के विसंगतियों को दूर किये जाने हेतु कार्यक्रम	
c	मतदाता स्वयं "वोटर हेल्पलाइन" मोबाईल एप, NSVP पोर्टल या लोक सेवा केन्द्र जाकर अपना सत्यापन करा सकते हैं	
d	अपंजीकृत मतदाताओं/मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी एवं आंकड़े एकत्र किया जाना	
2	BLOs के द्वारा घर-घर सर्वे कर सत्यापन कार्य	01.09.2019 (रविवार) से 30.09.2019 (सोमवार) तक
3	मतदान केन्द्र का युक्तियुक्तकरण एवं अनुभाग गठन	16.09.2019 (सोमवार) से 15.10.2019 (मंगलवार) तक
4	<u>पुनरीक्षण गतिविधियां :-</u> मतदाता सूची (एकीकृत) का प्रारंभिक प्रकाशन	15.10.2019 (मंगलवार)
5	दावा/आपत्ति दर्ज करने की अवधि	15.10.2019 (मंगलवार) से 30.11.2019 (शनिवार)
6	विशेष अभियान की तिथियां	02.11.2019 (शनिवार) एवं 03.11.2019 (रविवार) 09.11.2019 (शनिवार) 10.11.2019 (रविवार)
7	दावा/आपत्ति निराकरण करने की अवधि	15.12.2019 (रविवार) तक
8	अंतिम प्रकाशन के पूर्व आयोग के अनुमति हेतु मतदाता सूची के Health Parameters तैयार करना एवं जांच करना	25.12.2019 (बुधवार) तक
9	डेटाबेस अपडेशन एवं पूरक सूची तैयार करना	31.12.2019 (मंगलवार) तक
10	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	01.01.2020 (बुधवार) से 15.01.2020 (बुधवार) आयोग द्वारा तय

उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं सुधार हेतु बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं सुधार हेतु फार्म प्राप्त किया जावेगा। जिनकी आयु

continue..

01.01.2020 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे सभी फार्म 6 के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। इसके अलावा www.nvsp.in के द्वारा ऑनलाईन दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी एवं शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर - "1950" में कॉल किया जा सकता है।

पृ.क्रमांक 2022/निर्वा.पर्य./प्रेस विज्ञप्ति/2019
प्रतिलिपि:-

1. उप संचालक, जनसंपर्क सूरजपुर छ0ग0 को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी (DIO), NIC सूरजपुर छ0ग0 की ओर जिले के वेबसाइट www.surajpur.gov.in के सामान्य निर्वाचन लिंक में अपलोड किये जाने हेतु सम्प्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ.ग.)